APP-A
Crim-I

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

बनाम बंगालीमल सुरेन्द्र

किस्म मुकदमा भरण पोषण अधि. नियम नं. 43 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
31/1/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रकरण माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा से माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में दिये गये प्रावधानों के तहत उभयपक्ष को सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने के निर्देश सहित प्राप्त हुई। मूल रूप से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान चौपड़ा फार्म गली नं 1 कोटा जंक्शन कोटा से अप्रार्थी को बेदखल कर उनका भौतिक कब्जा प्रार्थी को अविलम्ब दिलवाये जाने हेतु आदेश पारित करने एवं अप्रार्थी को मकान को तुरन्त खाली करने एवं प्रार्थी को इस मकान में शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद के लिए प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी उक्त मकान में लाईसेन्सी की हैसियत से नही रह रहा बल्कि मालिक की हैसियत से निवास कर रहा है। अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी के साथ मारपीट एवं गाली गलौच नही की है। प्रार्थी द्वार यह प्रार्थना पत्र झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली में संलग्न विकय पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान प्रार्थी बंगालीमल शर्मा एवं अप्रार्थी सुरेन्द्र द्वारा कय किया गया है जिस कारण से उक्त मकान पर उभयपक्षकारान का हक अधिकार निहित है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त मकान से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि एवं अप्रार्थी सुरेन्द्र को पाबंद किया जाता है कि विवादाग्रस्त मकान के ग्राउन्ड फ्लोर पर प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं निवास में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नही करें, प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट एवं गाली गलौच इत्यादि नही करे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दें। उक्त निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। 31/1/25 कोटा	